परिपत्र संख्या– 09 /लो0शि0(7)/आ0परि0/40/2018.

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक–29-3-2019.

विषयः– प्रदेश की कारागारों में व्याप्त भ्रष्टाचार, बन्दी उत्पीड़न एवं जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आमजन से वसूली व अभद्रता किए जाने आदि सम्बन्धी शिकायतों के सम्बंध में।

ज्ञातव्य है कि विभिन्न स्तरों से मुख्यालय में प्राप्त हो रहे शिकायती पत्रों में अधिकांश शिकायती तथ्य प्रदेश की कारागारों के दैनिक सामान्य कार्य प्रणाली में प्रत्येक स्तर पर जेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे घोर–भ्रष्टाचार एवं जेल में प्रत्येक सुविधा के लिए दरें निर्धारित होने यथा–बन्दियों की मशक्कत काटने के नाम धन–वसूली, मुलाकात में मुलाकातियों व बन्दियों से वसूली, पैसा लेकर नियम विरूद्ध मुलाकात कराने, बन्दियों के बैरक आबंटन में वसूली, कैण्टीन में अवैध वस्तुएं बेचकर धन कमाने, बन्दी मुलाहिजा में पैसा वसूली, बन्दियों की चिकित्सा हेतु धन वसूली, जेल चिकित्सालय व बाह्य चिकित्सालय में भर्ती कराकर उपचार कराने में वसूली, बन्दियों की रिहाई में पैसे वसूलने, बन्दियों के भोजन हेतु उपलब्ध राशन में निजीस्वार्थवश भारी कटौती करने, बन्दियों को अच्छा भोजन न देने, कारागारों में पैसा लेकर बन्दियों को मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराने, गरीब व असहाय बन्दियों से धन वसूली हेतु उत्पीड़न व मार–पीट करने, माफिया व अमीर बन्दियों को जेल में वी0आई0पी0 सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी समरूपी शिकायतों का उल्लेख मिलता है।

2. आश्चर्य का विषय है कि उक्त आरोपों से युक्त शिकायती पत्रों की जांच हेतु सन्दर्भित करने पर सामान्यतः प्रत्येक जांच में शिकायतें साक्ष्य पुष्टित न पाये जाने पर विभागीय जांच अधिकारियों द्वारा प्रकरण निक्षेपित/निस्तारित किए जाने की संस्तुतियां प्रेषित की जा रही हैं, जबकि जिला प्रशासन के अधिकारियों व अन्य अधिकारियों द्वारा ऐसे शिकायती प्रकरणों की कृत जांच में आरोप सामन्यतः सत्य पाये जाते हैं। अतएव विचारणीय है कि प्रदेश की समस्त कारागारों के सम्बंध में एक ही प्रकार के वर्णित आरोप सत्य के निकट प्रतीत होते हैं और इन पर सरसरी तौर पर जांच के स्थान पर गम्भीरता से जांच किए जाने की आवश्यकता होती है। साथ ही उक्तांकित अव्यवस्थाऐं यदि किन्हीं कारागारों में आंशिक रूप से भी विद्यमान हैं, तो उनमें सुधार का प्रयास किए जाने की भी आवश्यकता है, जिससे जनमानस में कारागार विभाग की छबि सामान्य हो सके।

अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि इस परिपत्र के प्रस्तर–1 में कारागारों के प्रति वर्णित गम्भीर आरोपों/शिकायती तथ्यों में सुधार किए जाने हेतु पूर्ण सम्वेदनशीलता, ईमानदारी, निष्ठा एवं गम्भीरता से प्रत्येक स्तर पर गम्भीर प्रयास किए जायें। साथ ही विभागीय जांच अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा ऐसे शिकायती प्रकरणों की गम्भीरता व पूर्ण ईमानदारी से जांच की जाए, जिससे जनमानस के मध्य कारागार विभाग की छबि में सुधार परिलक्षित हो सके तथा ऐसी शिकायतों में कमी हो सके। कदाचित विभाग की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आप सहमत होंगे कि प्रदेश की कारागारें यातनागृह नहीं वरन सुधार गृह हैं, जहां पर बन्दीगण कतिपय विशेष तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर जेल से रिहा होने के पश्चात शेष जीवनयापन एक सम्भ्रान्त नागरिक के समान सुचारू रूप से कर सके तथा उनके मन में कारागार विभाग के प्रति सम्मान हो, न कि विद्वेष। कृपया तद्नुसार तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

28/3/19
(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश